

## Attachment 2.43 (A)

### राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1

#### (प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम जनपद चमोली में कुलसारी—नेल—ढालू मोटर मार्ग का निर्माण।  
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के संलग्न है।  
 वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप  
 ग) परियोजना की लागत। ₹ 48.60 लाख  
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।  
 ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है।  
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :— कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :— 2.246 हेक्टेक्टर, 0.042 हेक्टेक्टर पर्याय, कुल 2.288 हेक्टेक्टर वन भूमि
- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है :-  
 क) परिवारों की संख्या :— शून्य  
 ख) अनुशूलित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या शून्य  
 ग) पुर्ववास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) शून्य
- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं) आभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ—साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वर्चन बढ़ता (वर्चन बढ़ता संलग्न की जाये) संलग्न है।
- 6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का अनुसूची संलग्न है।

तिथि .....  
 स्थान — थराली

  
खण्डीय अमीन

  
कनिष्ठ अभियन्ता

  
सहायक अमितपाल सिंह

  
(इंग जगदीश सिंह राघव)  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड लो०नि�०वि०  
थराली, (चमोली)